2017 का कंपनी आवेदन सं. 05/सीएचडी/एचआरवाई/2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 के साथ पठित धारा 230 के तहत कजारिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कंपनी 1" या "हस्तांतरण कर्ता कंपनी") और कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड ("आवेदक कंपनी 2" या "कंपनी" या "हस्तांतरी कंपनी") के बीच आवेदन के मामले में।

कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड, आवेदक कंपनी 2 के इक्विटी शेयर धारकों (सार्वजनिक शेयर धारकों सहित) प्रतिभूत और अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक की सूचना का विज्ञापन।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 4 मई, 2017 के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ('ट्रिब्यूनल') की चण्डीगढ़ बैंच ने आवेदक कंपनी 2 के इक्विटी शेयर धारकों, प्रतिभूत और अप्रतिभूत क्रेडिटरों की अलग अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कजारिया सिक्योरिटीज़ प्रा. लि. और कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड के बीच और उनके संबंधित इक्विटी शेयर धारकों तथा क्रेडिटरों के बीच व्यवस्था की योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि उचित पाया जाता है तो इसे संशोधनों के साथ या इसके बिना अनुमोदित करना है।

आदेश का पालन करने और इसके निर्देशानुसार एतद् द्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि कथित कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों, प्रतिभूत और अप्रतिभूत क्रेडिटरों की अलग अलग बैठकें निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी जिसका समय और स्थान दिया गया है, आवेदक कंपनी 2 के कथित इक्विटी शेयर धारकों, प्रतिभूत और अप्रतिभूत क्रेडिटरों (जैसा लागू है) की अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी :

क्र.सं.	बैठक	तिथि और समय	स्थान
1.	प्रतिभूत क्रेडिटरों की बैठक	21 जुलाई, 2017 को सुबह 11.00 बजे	एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001
2.	अप्रतिभूत क्रेडिटरों की बैठक	21 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे	एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001
3.	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	21 जुलाई, 2017 को दोपहर 2.00 बजे	एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001

योजना और धारा 230 के तहत वक्तव्य की प्रतियां और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान निशुल्क रूप से आवेदक कंपनी 2 के पंजीकृत कार्यालय एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001 में बैठकों की तिथि तक सभी दिनों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के अलावा) सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं या ये इनके अधिवक्ता अर्थात लॉयर्स चैम्बर नं. 2, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ – 160001 से प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठक में भाग लेने और मत दान की पात्रता रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से या डाक मत पत्र (केवल इक्विटी शेयर धारकों के लिए) या ई–मतदान (केवल इक्विटी शेयर धारकों के लिए) द्वारा मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि सभी प्रॉक्सी निर्दिष्ट फॉर्म में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001 में उपरोक्त कथित बैठकों के लिए नियत समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किए जाते हैं।

प्रॉक्सी के फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

ट्रिब्यूनल द्वारा श्री न्याय मूर्ति (सेवानिवृत्त) जे. सी. वर्मा को अध्यक्ष और श्री हरनम शर्मा, जिला और सत्र न्यायधीश (सेवानिवृत्त) को कथित बैठकों के लिए वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि उपरोक्त कथित बैठकों में योजना को मंजूरी दी जाती है तो यह ट्रिब्यूनल के अगले अनुमोदन के अधीन होगी।

ट्रिब्यूनल द्वारा 4 मई, 2017 के आदेश द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए, 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आम बैठक में इक्विटी शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन अनुमोदन दिया है, जिसे उपरोक्त कथित बैठकों में परिचालित किया जाएगा। पुनः इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठकों में अद्यतन तिथि तक निष्कर्ष प्राप्त करने, या बनाने के लिए या प्रतियां प्राप्त करने, निरीक्षण करने के लिए सभी कार्य दिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों के अलावा) पर सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच उपलब्ध कराया जाएगा।

इक्विटी शेयर धारक यह कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग के विषय में इक्विटी शेयर धारक बैठक हेतु नोट करें :

कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों की बैठक के लिए व्यापार का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, डाक बैलेट और मतदान के कागज द्वारा बैठक में किया जाए। शेयर धारकों की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक वक्तव्य के साथ 16 जून 2017 को भेज दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डाक बैलेट द्वारा इक्विटी शेयर धारकों की वोटिंग की अवधि **21 जून 2017 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय)** आरंभ होगी और यह **20 जुलाई 2017 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय)** पर समाप्त होगी।

इस अवधि के दौरान शेयर धारिता रखने वाले इक्विटी शेयर धारक **31 दिसंबर 2016 की कट ऑफ तिथि** के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि या डाक बैलेट के जरिए कंपनी की इक्विटी शेयर धारकों की बैठक में अपना मतदान कर सकते हैं और कथित तिथि के बाद शेयर धारकों से प्राप्त किसी डाक बैलेट को वैध नहीं माना जाएगा और इस वोटिंग को, चाहे यह डाक द्वारा है या इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा मतदान किया जाता है, इसकी अनुमति कथित तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी।

शेयर धारक मतदान की केवल एक विधि चुन सकते हैं। यदि शेयर धारक ने ई–मतदान का विकल्प चुना है तो उसे डाक बैलेट द्वारा मतदान नहीं करना चाहिए और इसके विपरीत। जबकि यदि शेयर धारक डाक बैलेट और ई–मतदान दोनों के जरिए अपने मतदान करते हैं तो ई–मतदान माना जाएगा और डाक बैलेट द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा।

मतदान के कागजों के जरिए वोटिंग की यह सुविधा बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले शेयर धारक, जिन्होंने मतदान अब तक नहीं किया है, वे मतदान के कागजों के जरिए बैठक में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

कंपनी के शेयर धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, किंतु उन्हें बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जिसे 31 दिसंबर, 2016 को जमा कर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, उन्हें बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक बैलेट या मतदान की सुविधा पाने की पात्रता होगी। इक्विटी शेयर धारकों के मतदान का अधिकार कट ऑफ तिथि अर्थात 31 दिसंबर, 2016 से गिना जाएगा।

शेयरधारक, जिनको ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं, इसे **evoting@nsdl.co.in** पर या आवेदक कंपनी 2 के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ई–मेल **admin@mcsregistrars.com** के माध्यम से अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

आगे, शेयरधारक, जिनको डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ वे कंपनी के **investors@kajariaceramics.com** पर अनुरोध भेजकर आवेदन कर सकते हैं और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

1. ई–वोटिंग प्रक्रिया, 2. डाक बैलेट और 3. बैठक के स्थान पर मतदान के कागजों सहित डाक बैलेट के अलग अलग परिणाम और सार्वजनिक शेयर धारकों द्वारा उपयोग किए गए ई–मतदान के परिणामों की घोषणा 23 जुलाई, 2017 या उससे पहले, आवेदक कंपनी 2 के पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी। परिणामों के साथ संवीक्षा रिपोर्ट को आवेदक कंपनी 2 के पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी 2 की वेबसाइट **(www.kajariaceramics.com)** और नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **(www.evoting.nsdl.com)** के अलावा बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ('एनएसई') में संप्रेषित किया जाएगा।

ई–वोटिंग अनुदेशों सहित सूचना आवेदक कंपनी 2 **(www.kajariaceramics.com)** की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर उपलब्ध है और इसके अलावा बीएसई और एनएसई को संप्रेषित किया जाएगा।

डाक बैलेट से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया आवेदक कंपनी 2 के कंपनी सचिव से टेलीफोन नं. +91–11–26946409 पर या ई–मेल **investors@kajariaceramics.com** के माध्यम से सम्पर्क करें। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत ई–मेल **rajivr@nsdl.co.in** पर या टेलीफोन नं. 022–24994738 / टोल फ्री नं. 1800 222 990 के माध्यम से श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को भेजा जा सकता है।

हस्ता./–
आर.सी. रावत
सीओओ (ए और टी) और कंपनी सचिव
एफसीएस – 5101
दिनांक 11 जुलाई, 2016 को बोर्ड के संकल्प द्वारा अधिकृत कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक : 16 जून, 2017
स्थान : नई दिल्ली

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ नई दिल्ली में
कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए)-14(पीबी) ऑफ 2017 से संबंधित
कंपनी याचिका ए.77(पीबी)/2017
निम्नलिखित मामले में : कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230, 231 एवं 232
तथा
निम्नलिखित के बीच विलय की योजना के मामले में:

कोलोसल होमलैंड बिल्डअप प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 208 एवं 210 जैन भवन 18/12 डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
....अंतरणकर्त्ता कंपनी (याचिकाकर्त्ता कंपनी 1)
तथा
राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 208 एवं 210 जैन भवन 18/12 डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
......अंतरिती कंपनी (याचिकाकर्त्ता कंपनी 2)

याचिका की विज्ञप्ति

कोलोसल होमलैंड बिल्डअप प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्त्ता कंपनी/याचिकाकर्त्ता कंपनी 1) के राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी/याचिकाकर्त्ता कंपनी 2) के साथ विलय हेतु व्यवस्था योजना के अनुमोदन के लिए याचिकाकर्त्ता कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 231 एवं 232 के अधीन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की गई थी एवं 25 अप्रैल, 2017 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था तथा याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, सूचना के बाद, उक्त याचिका पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष 12 जुलाई, 2017 की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने वाला कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की सूचना, उनके द्वारा अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ अपना नाम एवं पता का उल्लेख कर याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के पास इस तरह भेजना होगा कि वह याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई की निर्धारित तारीख से 5 दिन पहले तक पहुंच जाए। अगर वे याचिका का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध के कारण अथवा हलफनामे की एक प्रति उस सूचना के साथ अवश्यक भेजना होगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की प्रति मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाएगा।

हस्ता/-
दीपिका विजय सावहणे
याचिकाकर्त्ता हेतु अधिवक्ता
कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स
एडवाइजर्स एण्ड एडवोकेट्स
डी-28, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट I, नई दिल्ली-110049

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जून, 2017

COSMO FILMS *Engineered to Enhance*

COSMO FILMS LIMITED

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi- 110025
CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950
E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following original Share Certificates of Cosmo Films Ltd issued by the Company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the following registered holders thereof / claimant(s) have applied to Company for issue of Duplicate Share Certificate(s) followed by the Transmission of such Shares in their names.

Sr. No.	Name and Folio No. of Shareholder	Name of the Claimant(s)	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Eq. Shares
1.	Hosang Eruchshah Engineer **Z6191**	Katie Fram Dalal/Aspan Loveji Cooper/Dinyaar Dinshaw Karani	53454-456 117280-83 208111	4179551-4179670 8018781-8018891 12735851-6081	120 111 231

Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the Registrars and Transfer Agent M/s. Alankit Assignments Ltd., 1E/13, Alankit Heights, Jhandewalan Extn. New Delhi 110055, Tel: 011-42541234, 23541234, Fax: 41543474 within 15 days of Publication of this notice after which no claims will be entertained and the registrars will proceed for issuing Duplicate Certificates.

For and on Behalf of
COSMO FILMS LTD.
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Dated: 16.06.2017
Place: New Delhi

J & K Bank Serving to Empower

दी जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.

आँचलिक कार्यालय (उत्तर), प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गांव (हरियाणा)-122003
टेली: +91 (0)0124-4715800,
फैक्स +91 (0)0124-43895009,

कब्जे की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियम, 2002 के नियम 8(1) के अन्तर्गत

जबकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक, सेक्टर 44 गुडगांव ब्रांच, गुडगांव के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.07.2014 को माँग नोटिस जारी करके ऋणीयों मैसर्स वाई.पी.एम. ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और गारन्टर यशपाल महाजन पुत्र लालचन्द, नीलम महाजन पत्नी यशपाल महाजन एवं मोनिका महाजन पत्नी संजय महाजन को नोटिस में वर्णित राशि रू. 1,66,72,772.85 (रूपये एक करोड छियासठ लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर और पैसा पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.06.2014 तक तथा दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी भविष्य के ब्याज एवं सम्भावित खर्चों की राशि का उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा राशि के पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण ऋणी और जमानतदार व जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 14 जून 2017 को ले लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति में संव्यवहार न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी संव्यवहार जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक, सेक्टर 44 गुडगांव ब्रांच, गुडगांव के रू. 1,66,72,772.85 (रूपये एक करोड छियासठ लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर और पैसा पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.06.2014 तक + दिनांक 01.07.2014 से बैंक द्वारा लगाए गये ब्याज एवं आकस्मिक खर्चों के अध्यधीन होगा।

ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है

अचल संपत्ति का विवरण

औद्योगिक क्षेत्रः साम्यिक बंधक औद्योगिक संपत्ति सं. जी-572, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है जिसे भिवाड़ी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी, जिलाः अलवर राजस्थान के नाम से जाना जाता है।

दिनांकः 17.06.2017 स्थानः भिवाड़ी, अलवर — प्राधिकृत अधिकारी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी
(भारत सरकार का उपक्रम)
लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई–ब्लॉक, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
फोनः 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्सः (011) 23417236

परिशिष्ट-IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियाँ हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार मैसर्स लालसन्स ज्वैलर्स लि. (कर्जदार), राजीव पॉल सिंह वर्मा (निदेशक/गारंटर), श्री संजीव पॉल सिंह वर्मा (निदेशक/गारंटर), श्रीमती पूनम वर्मा (निदेशक/गारंटर), श्री के.आर. वर्मा (गारंटर), श्रीमती राजदुलारी वर्मा (गारंटर), मैसर्स आर. मलिक एण्ड क. प्रा. लि. कार्पोरेट गारंटर/बंधककर्ता को मांग नोटिस दिनांक 04.11.2016 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 185,09,95,915/- (रु. एक सौ पिच्चासी करोड़ नौ लाख पिचान्वे हजार नौ सौ पंद्रह मात्र), दिनांक 31.10.2016 तक और साथ में ब्याज, आकस्मिक खर्चें, लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित,** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार(ों)/सह–कर्जदार(ों)/बंधककर्ताओं/गारंटर्स उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा कर्जदार(ों)/सह–कर्जदार(ों)/बंधककर्ताओं/गारंटर्स तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा दिनांक 14.06.2017** को लिया है।

कर्जदार(ों)/सह–कर्जदार(ों)/बंधककर्ताओं/गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार(ों)/सह–कर्जदार(ों)/बंधककर्ताओं/गारंटर्स को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रभार वास्ते, बकाया राशि रु. 185,09,95,915/- (रु. एक सौ पिच्चासी करोड़ नौ लाख पिचान्वे हजार नौ सौ पंद्रह मात्र), दिनांक 31.10.2016 तक और दिनांक 01.11.2016 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज अदायगी की तिथि तक साथ में लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

- **दृष्टिबंधक स्टॉक्स, प्राप्तियां और कंपनी की अन्य वर्तमान की आस्तियां**
- **सम्पूर्ण दृष्टिबंधक कंपनी की स्थायी आस्तियां**
- **प्लॉट नं.6, ब्लॉक 23–बी, डब्ल्यू ई ए, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली, जिसका कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग गज, यह सम्पत्ति आर. मलिक एण्ड क० प्रा. लि. के नाम पर है।**
- **रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–3/171, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती राज दुलारी वर्मा और श्री के आर वर्मा के नाम पर है।**
- **व्यावसायिक कार्यालय नं. डीएसएम–229, डीएलएफ टॉवर्स, मोती नगर, दिल्ली, जिसका कुल क्षेत्रफल 849 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री राजीव वर्मा के नाम पर है।**

दिनांक : 14.06.2017, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

---

hindi.business-standard.com

लाभ उठायें क्षेत्रीय भावों का

विविध समाचार के पन्ने पर छपते हैं क्षेत्रीय मंडियों के भाव। जानिए, विभिन्न मंडियों में अनाज-दाल के भाव या फिर तेल-तिलहन का हाल। सब कुछ मिलेगा क्षेत्रीय मंडियों के भाव में।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

अपनी प्रति के लिए
Call 022 24978470 | SMS reachbs to 56677
e-mail us at: order@bsmail.in

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान)
रिफाइनरी एवं ऑयल फिल्ड सर्विसेज़
पंजी. कार्यालयः 21, एनएस रोड, कोलकाता-700 001
CIN: L15492WB1924GOI004835, **वेबसाइटः** www.balmerlawrie.com
फोन नं.: 2222 5569, **फैक्सः** 22225333/444, **ई-मेलः** mondal.c@balmerlawrie.com

#GiveItUp Feel the Joy of Giving — SINCE 1867

सीपीसीएल, सीबीआर, नागपट्टिनम में क्रूड ऑयल टैंक से अवशिष्ट ठोस का (i) सिविल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल कार्य (ii) श्रमशक्ति आपूर्ति एवं (iii) मैनुअल सफाई कार्य हेतु बामर लॉरी ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से समग्र कार्य हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता हैः

निविदा सं.	: ROFS/2K17/03/ENQ/01
नियत तिथि एवं समय	: 28.06.2017 – 15:00 बजे
खुलने की तिथि एवं समय (अमूल्य बोली)	: 28.06.2017 – 16:00 बजे

विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया कंपनी की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://balmerlawrie.eproc.in** देखें अथवा हमारी वेबसाइट **www.balmerlawrie.com** से डाउनलोड करें।

सूचना

01.06.2017

निम्न के मामले में :-
एआरबी सं. 515/2017
मैसर्स छाबरा 555 फैशन (प्रा.) लि.
बनाम
सुश्री सुखपाल कौर
स्वत्वधारी
मैसर्स सुखमणी कलेक्शन्स

महोदया,

एकल न्यायकर्त्ता के रूप में अधोहस्ताक्षरी सम्मिलित यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ऊपर उल्लिखित मामले में पार्टियों के बीच उत्पन्न सभी विवादों तथा मतभेदों पर अपना निर्णय गठित किया है। मैसर्स छाबरा 555 फैशन (प्रा.) लि., दावेदार, ने आप, यहां ऊपर उल्लिखित पार्टी, के खिलाफ रु. 23,76,198.72/- साथ में पेंडेंट लाइट एवं प्रतिवर्ष 18% की दर से भविष्य के ब्याज की राशि का दावा किया है।

पार्टी कृपया ध्यान दें कि अगली मध्यस्था सुनवाई/बैठक 3 जुलाई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे ई-232, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 में आयोजित होगी।

आप, यहां ऊपर उल्लिखित पार्टी, को ऊपर उल्लिखित सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा यथावत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि तथा/अथवा अधिवक्ता के जरिए उपस्थित रहना होगा। आप, यहां ऊपर उल्लिखित पार्टी, की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर मामले पर **एक तरफा** सुनवाई कर दी जाएगी।

हस्ता-
मनीष गोयल
एकल न्यायाकर्त्ता
ई-232, ग्रेटर कैलाश-I,
नई दिल्ली-110048

बीएचईएल **BHEL** Maharatna Company

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न
पीबी संख्या 2606, मैसूरु रोड, बेंगलुरू– 560026

निविदा सूचना — दिनांकः 17.06.2017

समान प्रकृति का कार्य कर चुके अनुभवी टेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

1. सर्वर, स्टोरेज एवं डाटा सेंटर इक्युपमेंट की व्यापक अनुरक्षण ठेका
सं: बीएचईएल /ईडीएन/ आईटीएस/एसी/2017/डीसी/मेट्सो
2. 300 केएलडी क्षमता वाले मलीन जल प्रक्रिया संयंत्र (एसटीपी)के प्रचालन तथा अनुरक्षण
सं: बीएचईएल/ईडीएन/एफएस/एसजेटी/एसटीपी/2017–18

विस्तृत विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **www.bheledn.com/www.bhel.com/www.tenders.gov.in** पर जाएं। निविदा से संबंधित सभी शुद्धि पत्र, संशोधन, समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि (यदि कोई हो तो) मात्र बीएचईएल की वेबसाइट **www.bheledn.com / www.bhel.com** पर होस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को चाहिए कि स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निष्ठा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड

(सीआईएनः एल65100डीएल1983पीएलसी016496)
पंजीकृत कार्यालयः **45ए, प्रथम तल, मेन रोड, हसनपुर, क्रास रोड, आईपी एक्सटेंशन, नई दिल्ली (ई)–110092**
फोनः **(+91) 8155009071** वेबसाइटः **www.nfandiltd.com** ईमेलः **nishtha.finvest@gmail.com**

सदस्यों को सूचना

एतद् द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 110** के तहत कंपनी ने दिनांक **05 जून, 2017** की सूचना में यथा उल्लिखित प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति लेने के संबंध में डाक मत प्रपत्र और एक स्व–पता लिखा डाक शुल्क अदा किया लिफाफे सहित डाक मत सूचना का प्रेषण पूर्ण कर लिया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने डाक मत प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए **श्री विरल रानपुरा**, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

1) दिनांक **05 जून, 2017** की सूचना में यथा उल्लिखित संकल्पों को रिमोट ई–मतदान द्वारा मतदान सहित डाक मत के माध्यम से पारित कराने की आवश्यकता है।
2) कंपनी ने डाक मत सूचनाओं का प्रेषण गुरुवार, **15 जून, 2017** को पूर्ण कर लिया है।
3) ई–मतदान **16 जून, 2017 समय पूर्वा. 09.00 बजे** से शुरू हो गया है और **शनिवार, 15 जुलाई, 2017 को समय अप. 05.00 बजे** समाप्त हो जायेगा।
4) मतदान के लिए डाक मत प्रपत्र का विकल्प लेने वाले सदस्य सुनिश्चित करें कि विधिवत् पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक मत प्रपत्र संवीक्षक के पास **शनिवार, 15 जुलाई, 2017** को कार्य अवधि समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। उक्त तिथि के बाद प्राप्त सभी डाक मत प्रपत्रों को ऐसे सदस्यों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ माना जायेगा। ई–मतदान सुविधा **15 जुलाई, 2017** को कार्य अवधि समाप्ति पर निष्क्रिय कर दी जाएगी।
5) यदि किसी सदस्य को अनुलिपि डाक मत प्रपत्र की आवश्यकता हो तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।
6) डाक मत और ई–मतदान संबंधी किसी जिज्ञासा समाधान हेतु सदस्य **श्री धवल पारेख**, कंपनी सचिव एवं कंपनी का कम्प्लाइअन्स अधिकारी से उपरोक्त संपर्क विवरणों पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : **17.06.2017**
स्थान : **दिल्ली**

हिते **निष्ठा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
धवल पारेख
कंपनी सचिव एवं कम्प्लाइअन्स अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank
ICICI Bank Limited

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात–390007
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, ब्रांदा–कूर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्स. नई दिल्ली–110055

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणी(यों) प्रतिभूति ऋणदाता से उन्हें बैंक द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा और ब्याज के के मूल के पुनर्भुगतान में असफल रहे हैं और ऋणों को गैर परफार्मिंग संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। उनके द्वारा बैंक को दिए गए अनुसार उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें सूचना जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए उक्त ऋणियों की जानकारी के उद्देश्य के लिए, उक्त ऋणियों को इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	ऋणी/सह–ऋणी/ गारंटर का नाम/(ऋण खाता संख्या) व पता	प्रतिभूतित संपत्ति का पता/कब्जा की जाने वाली संपत्ति	भेजी सूचना की तिथि /सूचना की तिथि तक बकाया	एनपीए तिथि
1.	अमरप्रीत सिंह LAGAN00033811250–मकान नं 7डी–92 जवाहर नगर श्री गंगानगर–335001	GO/DATSUN	29 March 2017_340518	30/06/2016
2.	अनिल कुमार LASIK00026879624–खीचरो का बास वार्ड नं. 18 सीकर–332001	EXI/FORD FIGO/RJ23CB2708	29 March 2017_226286	30/09/2016
3.	पुष्पेंद्र सिंह LABRT00033201178–154 न्यू आदर्श नगर चंदापोल गेट के पीछे भरतपुर–321001	VDI/SWIFT DZIRE/RJ05CA9016	29 March 2017_646819.1	31/03/2016

उपरोक्त ऋणी/यों और/या उनके गारंटर (जहां लागू हो) को धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर सभी बकाया का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, असफल होने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 13(2) के अंतर्गत सूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक : 17.06.2017
स्थान : राजस्थान

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. के लिए